किसी व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट करने के लिए आपको 24 घंटे इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है

मनगढ़ंत बातें और तथ्य

गुमशुदा व्यक्ति की परिभाषा ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में की जाती है जिसके गुम हो जाने के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो, जिसका अता–पता मालुम न हो तथा उस व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण के विषय में भय बना हुआ हो।

मनगढ़ंत बातों को स्पष्ट करना

मनगढ़ंत बातः वयस्क लोगों के बारे में गुमशुदगी दर्ज नहीं की जा सकती।

तथ्यः ऑस्ट्रेलिया में यदि किसी व्यक्ति का गुम हो जाना अप्रत्याशित घटना लगे और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण को लेकर आशंका बनी हुई हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में गुमशुदगी दर्ज कराई जा सकती है।

मनगढ़ंत बातः लोग 'जान–बूझकर' गुम हो जाया करते हैं।

तथ्यः परिस्थितियों के कारण लोगों के विकल्प सीमित हो सकते हैं और वे अपने सामान्य वातावरण को त्यागकर गुमशुदा होने के शिकार ज्यादा आसानी से बन सकते हैं। और भी कई प्रेरक तत्व हैं, जैसेकि मानसिक बीमारी, आर्थिक और/या सामाजिक समस्याएँ।

मनगढ़ंत बातः बच्चों के गुमशुदा होने का मतलब है कि उनका अपहरण कर लिया गया है।

तथ्यः जिन बच्चों के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उनमें से ज्यादातर 24 घंटों के अन्दर सुरक्षित बरामद कर लिए जाते हैं। बच्चों के गुम होने के सामान्य कारणों में आपसी संवाद या बातचीत की कमी तथा अनुशासन सम्बंधी मुद्दे शामिल हैं।

मनगढ़ंत बातः गुमशुदा लोगों के बारे में दिए गए विवरणों की गोपनीयता बनाई नहीं रखी जा सकती है।

तथ्यः गुमशुदा लोगों के बारे में सारे विवरण गोपनीय रखे जाते हैं और जब तक परिवार एवं जाँच अधिकारियों द्वारा अनुमति न दी जाए, तब तक उन्हें लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जाता है।

मनगढ़ंत बातः यदि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज की जा चुकी हो और उनका पता लगा लिया गया हो, तो उनके दोबारा गुम होने पर रिपोर्ट नहीं की जा सकती है।

तथ्यः भले ही कोई व्यक्ति पहले भी गुम हो चुका हो, पर वह चाहे जितनी बार भी गुम हो, हर बार उसे एक अलग रिपोर्ट के रूप में लिया जाएगा।

मनगढ़ंत बातः किसी गुम हो गए व्यक्ति का पता लगा लिए जाने पर उसका पता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को दे दिया जाएगा।

तथ्यः पता लग जाने पर यह ज़रूरी है कि गुमशुदा व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका पता–ठिकाना किसी को बताया नहीं जाए। अगर गुमशुदा व्यक्ति कोई बच्चा/बच्ची हो, तो उसके विवरण को प्रकट किया जाना उसकी गुमशुदगी की परिस्थितियों के अनुसार तय होगा।

मनगढ़ंत बातः यदि ऑस्ट्रेलिया के लोग विदेश में गुम हो जाएँ, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

तथ्यः ऑस्ट्रेलिया के किसी व्यक्ति के विदेश में गुम हो जाने के मामलों की जाँच के लिए ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस और विदेशी एवं व्यापार मामलों का विभाग विदेशी एजेन्सियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस, साल्वेशन आर्मी तथा इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑस्ट्रेलिया जैसी पता लगाने वाली एजेन्सियाँ भी विदेश में गुम हुए लोगों को फिर से मिलाने का प्रयास करती हैं।

प्रमुख तथ्य

- गुम हो जाना कोई अपराध नहीं है।
- प्रत्येक साल अनुमानतः 35,000 लोगों के गुम हो जाने की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है – अर्थात हर 15 मिनट में एक व्यक्ति।
- 99.5 प्रतिशत लोगों का पता लगा लिया जाता है – 85 प्रतिशत लोगों का गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए जाने के एक सप्ताह के अंदर।
- माता–पिता द्वारा अपहरण के मामलों का निपटारा ऑस्ट्रेलिया के परिवार न्यायालय और ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस द्वारा किया जाता है।
- गुमशुदा लोगों में से लगभग एक तिहाई लोग एक–बार से ज्यादा गुम हो जाते हैं।
- गुमशुदा लोगों में से करीब दो तिहाई लोग 18 साल से कम उम्र के होते हैं (अर्थात करीब 20,000)।
- ज्यादातर गुमशुदा युवा लोग किसी दोस्त के घर पर ढूँढ़ लिए जाते हैं।
- अजनबी लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाना एक असामान्य बात होती है – ज्यादातर लोगों को सही–सलामत स्थिति में खोज निकाला जाता है।
- लोग कई कारणों से गुम हो जाया करते हैं – जान–बूझकर या अनचाहे में।

2737_JUNE_2016_HINDI

यदि आपका कोई परिचित व्यक्ति गुम हो जाए, तो क्या करना चाहिए – सम्पर्क एजेन्सियाँ / सूचना

स्थानीय पुलिस		ऑस्ट्रेलिया में किसी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने का पहला स्थान
पुलिस की गुमशुदा व्यक्ति इकाई	**ACT** (02) 6256 7503 **NSW** (02) 8835 7656 or 1800 025 091 (निःषुल्क कॉल) **VIC** (03) 8690 2884 **QLD** (07) 3364 6213 or 1800 017 744 (Qld only - केवल क्वींसलैंड) **SA** (08) 8172 5467 **WA** (08) 9351 0699 **NT** (08) 8999 5511 or (08) 8922 1560 **TAS** (03) 6173 2606	
गुमशुदा लोगों के परिवार एवं मित्रों से सम्बंधित इकाई न्यू साउथ वेल्स के एटॉर्नी जनरल का विभाग	**1800 227 772** **www.lawlink.nsw.gov.au/missingpersons**	गुमशुदा लोगों के परिवारों को परामर्श–सहायता प्रदान करती है – केवल न्यू साउथ वेल्स में उपलब्ध
राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति समन्वय केन्द्र	**1800 000 634** **www.missingpersons.gov.au**	व्यक्तिगत तलाश और जाँच–पड़ताल नहीं करती है। गुमशुदा व्यक्ति को देखे जाने की गोपनीय रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है।
विदेशी और व्यापार मामलों का विभाग कौंस्युलर आकस्मिक सेवा	**1300 555 135** (24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन)	यदि विदेश–भ्रमण करने वाला कोई व्यक्ति गुम हो जाए।
ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस इंटरनेशनल ट्रेसिंग ऐंड रिफ्यूजी सर्विसेज	**www.redcross.org.au**	177 से भी अधिक देशों में तलाश कार्य करती है। सेवा के लिए शुल्क लागू हो सकता है।
साल्वेशन आर्मी फैमिली ट्रेसिंग सर्विस	**www.salvationarmy.gov.au**	18 साल से अधिक उम्र के लोगों का पता लगाने के लिए सीमित सेवा प्रदान करती है। सेवा के लिए शुल्क लागू हो सकता है।
स्थानीय सामुदायिक सम्पर्क		अपनी स्थानीय सामुदायिक सहायता एजेन्सी का नाम एवं सम्पर्क विवरण भरें।

यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत हो, तो क्या करना चाहिए?

उपरोक्त सेवाओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए यदि आपको सहायता की ज़रूरत हो, तो इस उद्देश्य के लिए अंग्रेज़ी न बोल पाने वाले लोगों और उनसे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत वाले अंग्रेज़ी–भाषियों के लिए टीआईएस नेशनल भाषांतरण सेवा उपलब्ध है। टीआईएस नेशनल को भाषांतरण सेवा के क्षेत्र में 30 से भी अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। इसके पास पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1750 से भी अधिक अनुबंधित अनुवादकों तक पहुँच है, जो 170 से भी अधिक भाषाओं और बोलियों में पारंगत हैं। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए, जिसे भाषांतरण सेवा की जरूरत हो, टीआईएस नेशनल की सेवा दिन के 24 घंटे तथा सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध है। टीआईएस नेशनल सर्विसेज़ द्वारा अनुवादित जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है।

टीआईएस नेशनल सर्विसेज़ स 13 14 50 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

AFP AUSTRALIAN FEDERAL POLICE

2737_JUNE_2016_HINDI